6, 83

उत्तराखण्ड शासन
राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1
संख्या– 585/ XXXII–2014/04(एक)–2009
देहरादूनः दिनांक 09 जून, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2007 द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन नियमावली, 2002 (मूल नियमावली) के नियम–6(5) एवं 6(8) में निम्नानुसार संशोधन किये गयेः–

राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन नियमावली, 2002	**राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2007**
6(5) स्वायत्तशासी संस्थाओं/ निगमों के वाहन चालकों को राज्य सम्पत्ति विभाग में संविलियन के समय उनके जी0पी0एफ0 में जमा नियोक्ता का अंश ब्याज सहित उनके नये भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा, जिसके लिए उन्हें सामान्य भविष्य निधि का सदस्य बनना पड़ेगा और नया भविष्य निधि खाता आबंटित किया जायेगा।	6(5) स्वायत्तशासी संस्थाओं/ निगमों के वाहन चालकों को राज्य सम्पत्ति विभाग में संविलियन के समय उनके सी0पी0एफ0 में जमा नियोक्ता का अंश ब्याज सहित राजकोष में जमा किया जायेगा। संविलियन के बाद जी.पी.एफ. हेतु नया भविष्य निधि खाता आबंटित किया जायेगा, परन्तु यह कि 01 अक्टूबर, 2005 अथवा उनके बाद संविलियत कर्मचारी अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित होने के कारण जी0पी0एफ0 में अंशदान करने हेतु अधिकृत नहीं होंगे।
6(8) निगमों/संस्थाओं के इन वाहन चालकों की पूर्व सेवा, पेंशन, ग्रेच्यूटी आदि के लिए गणना में लिया जायेगा तथा पूर्व की सेवा में अर्जित अवकाश/ चिकित्सा अवकाश को वर्तमान सेवा में गणना में लिया जायेगा।	6(8) केवल उन निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में की गयी पूर्व की सेवाओं को पेंशन, ग्रेच्यूटी आदि के लिए नयी सेवा में जोड़ा जायेगा, जिनमें पूर्व से पेंशन, ग्रेच्यूटी की सुविधा अनुमन्य हो तथा पूर्व सेवा के अन्य लाभ वर्तमान सेवा में अनुमन्य नहीं होंगे, परन्तु यह कि अर्जित अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश संविलियन के बाद की देयता के अनुरूप होगा और पूर्व की सेवा के अवकाश लेखे के शेष अवकाश को वर्तमान सेवा में नहीं जोड़ा जायेगा, परन्तु यह और कि दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 या इसके बाद संविलियन कर्मी नयी अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित होने के कारण कार्मिकों की पूर्व की सेवा की गणना पेंशनरी व अन्य लाभ हेतु वर्तमान सेवा में नहीं की जायेगी।

2– स्पेशल अपील संख्या–51/2013 अब्दुल सलाम खान एवं अन्य बनाम राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल की संयुक्त खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 20 मार्च, 2013 द्वारा ''राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन नियमावली, 2002'' के नियम–6(8) में ''राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2007'' द्वारा किये गये संशोधन को अपास्त करते हुए निम्न आदेश पारित किये गये हैः–

"We,accordingly, interfere and set aside the First Amendment Rules, 2007 to the extent the same purported to substituted Rule 6(8) of the merger Rules"

3– मा0 न्यायालय के उक्त आदेशों एवं तद्क्रम में सिविल अवमानना वाद संख्या–145/2014, अब्दुल सलाम खान एवं अन्य बनाम डी0एस0 गर्ब्याल एवं अन्य के अनुपालन में राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2007 द्वारा नियम–6(8) में संशोधनोपरान्त की गयी व्यवस्था के स्थान पर मूल संविलियन नियमावली, 2002 के नियम–6(8) की व्यवस्था पूर्ववत् स्थापित की जाती है। तद्नुसार मूल संविलियन नियमावली, 2002 के नियम–6(8) की व्यवस्थान्तर्गत निगमों/संस्थाओं के इन वाहन चालकों की पूर्व सेवा, पेंशन, ग्रेच्यूटी आदि के लिए गणना में लिया जायेगा तथा पूर्व की सेवा में अर्जित अवकाश/चिकित्सा अवकाश को वर्तमान सेवा में गणना में लिया जायेगा।

4– मा0 न्यायालय के आदेशों के क्रम में राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन नियमावली, 2002 में अपेक्षित संशोधन यथासमय कर लिये जायेंगे।

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्या– 585 (1)/ XXXII–2014/04(एक)/2009, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
5. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, भुगतान एवं लेखा कार्यालय, उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल।
8. मुख्य व्यवस्थाधिकारी (ज्येष्ठ श्रेणी)/मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग।
11. समस्त वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी/प्रभारी, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाईल/विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी